जंजाल बनते एप

सोशल मीडिया और स्मार्ट फोन के विस्तार ने सूचना, संवाद एवं सेवा को व्यापक बनाया है. इस कारण डिजिटल तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है. लेकिन इसके उपयोग और उपभोग के नकारात्मक पहलुओं पर भी लगातार ध्यान रखना जरूरी है. इन दिनों एक बेहद लोकप्रिय वीडियो एप पर अदालती और सरकारी रोक की चर्चा है. हाल के वर्षों में अनेक एप और इंटरनेट गेम भी प्रतिबंधित किये गये हैं. ऐसे सभी विवादों में एक बात समान रूप से कही जाती है कि इन गेम या एप से बच्चों और किशोरों पर खराब असर होता है तथा वे इनके आदी होते जा रहे हैं. ऐसे अनेक मामले सामने आये हैं, जब गेम के कारण बच्चों और किशोरों ने अपने या दूसरों को चोट पहुंचाने की कोशिश की तथा आत्महत्या या हत्या जैसे कृत्य किये. उनके भावनात्मक और शारीरिक शोषण की घटनाएं भी हुई हैं. स्मार्ट फोन पर किसी गेम या एप की लत के शिकार बच्चों में एकाकीपन, अवसाद, चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य में गिरावट जैसी समस्याएं पैदा होती हैं. इससे वे पढ़ाई और बाद में रोजगार में पीछे रह जाते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि इनसे छुटकारा पाने के क्या उपाय हो सकते हैं. भारत समेत अन्य देशों का यह अनुभव है कि इंटरनेट पर पाबंदी का कोई खास असर नहीं होता है, क्योंकि एप और गेम नये रूप में ज्यादा नुकसान के साथ फिर से आ जाते हैं. एक ही तरह के हजारों गेम और एप हैं. किसी सोशल मीडिया कंपनी के लिए भी अपने करोड़ों उपयोगकर्ताओं की हरकतों पर नजर रखना और गलती रोकना बेहद मुश्किल है. सरकार के लिए भी अनंत वर्चुअल दुनिया पर निगरानी रख पाना न तो संभव है और न ही उसके पास इसके लिए समुचित संसाधन हैं. परंतु वह समाज में जागरूकता और सतर्कता पैदा करने के लिए गहन अभियान जरूर चला सकती है. वर्ष 2013 में अमेरिका ने मनोचिकित्सा में इंटरनेट की लत को अस्वस्थता में शामिल किया है. चीन, दक्षिण कोरिया और जापान में भी ऐसे प्रावधान हैं. हमारे देश में अभिभावकों, शिक्षकों और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों को दुष्प्रभावों की जानकारी देकर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. उन्हें लत लगने तथा मानसिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारगत लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए. आधुनिक जीवन शैली, शहरों की सामाजिक संरचना और भाग-दौड़ के कारण माता-पिता बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं. खेलने-कूदने की जगहों और मनोरंजन के साधनों की कमी ने भी बच्चों को कंप्यूटर और स्मार्ट फोन की ओर धकेला है. प्रतिस्पर्धा की संस्कृति ने बच्चों को तनाव और दबाव में डाला है. ऐसे में तकनीक उनके लिए परेशानियों से भागने या मन लगाने के विकल्प के रूप में दिखायी पड़ता है. बच्चों को डिजिटल तकनीक के कुप्रभावों के बारे में बताया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अधिक समय ऐसे उपकरणों के साथ न रहें. अराजक ऑनलाइन के कहर से बचाव के लिए सजग रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

बच्चों को डिजिटल तकनीक के कुप्रभावों के बारे में बताया जाना चाहिए तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अधिक समय ऐसे उपकरणों के साथ न रहें.

न हो आचार संहिता का उल्लंघन

नवीन जोशी
वरिष्ठ पत्रकार
naveengjoshi@gmail.com

आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और पूर्व मंत्री आजम खान को दो से तीन दिन तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया. आयोग ने यह 'सख्त' कार्रवाई इसलिए की, क्योंकि ये नेता चुनाव प्रचार में सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने और अभद्र टिप्पणियों के दोषी पाये गये. दरअसल, इस कार्रवाई से पहले सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन करनेवालों पर क्या कार्रवाई की जा रही है.

चुनाव आयोग की कार्रवाई से एक बात स्पष्ट है कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार नेता भी अब चुनाव आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन करने लगे हैं. छुटभैय्ये नेताओं और प्रत्याशियों की 'जुबान फिसलने' या जान-बूझकर जातीय-धार्मिक और व्यक्तिगत अशालीन टिप्पणियां करने के मामले चुनाव के दौरान पहले भी खूब होते थे. हाल में ऐसे मामले न केवल बढ़े हैं, बल्कि ऐसे नेता भी आचार संहिता का उल्लंघन करने लगे हैं, जो संविधान की शपथ लेकर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं.

इन वरिष्ठ नेताओं से यह अपेक्षा कतई नहीं की जाती कि वे आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे. बल्कि, उनसे अपेक्षा यह रहती है कि वे छोटे नेताओं-कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकेंगे. विडंबना देखिए कि न केवल इन्होंने भावना भड़कानेवाले भाषण दिये, बल्कि उनमें से दो ने चुनाव आयोग की इस बारे में मिली नोटिस का जवाब तक देना उचित नहीं समझा. और, इन जिम्मेदार नेताओं में से एक ने भी यह नहीं माना कि उनसे गलती हुई.

यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि योगी ने अपने भाषण में कहा था कि 'उन्हें अली प्यारे हैं तो हमें बजरंगबली प्यारे हैं.' उन्होंने 'हरे वायरस' का उल्लेख भी किया था. मायावती ने देवबंद में मंच से अपील की थी कि मुसलमान अपने वोट का बंटवारा न करें और सिर्फ गठबंधन के उम्मीदवार को ही वोट दें. गलती स्वीकार करने की बजाय हमारे इन नेताओं ने क्या किया? योगी ने चुनाव आयोग को दिये जवाब में कहा है कि मैंने आचार संहिता का उल्लंघन किया ही नहीं. मैं तो विपक्षी नेताओं की छद्म धर्मनिरपेक्षता का पर्दाफाश कर रहा था. वहीं मायावती ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के दबाव में और दलित-विरोधी मानसिकता से काम कर रहा है.

इसका अर्थ यह है कि इन नेताओं ने जो कहा और जिसे साफ-साफ आचार संहिता का उल्लंघन माना गया, वह गलती से या भावावेश में मुंह से नहीं निकला, वह सोच-समझकर ही कहा गया. यही वह तथ्य है जो चिंताजनक है. चुनावी राजनीति आज उस जगह पहुंच गयी है, जहां आचार संहिता उल्लंघन इरादतन और वर्ग-विशेष के मतदाताओं को इंगित करके किया जाता है.

प्रत्येक चुनाव क्षेत्र का एक विशिष्ट जातीय-धार्मिक गणित है. कहीं मुसलमान मतदाता बहुतायत में हैं, कहीं सवर्ण हिंदू, कहीं पिछड़ी जातियों के वोटर ज्यादा हैं और कहीं दलित. हर पार्टी के पास इनकी उप-जातियों का गणित भी है. पूरा चुनाव इसी गणित और गोलबंदी से लड़ा जाता है. हमारी चुनाव प्रणाली की त्रासदी यह है कि मात्र 25-30 फीसदी वोट पानेवाला प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है. एक अध्ययन के अनुसार, 70 प्रतिशत विधायक और सांसद कुल पड़े वोटों के अल्पमत से चुनाव जीतते हैं, यानी मतदाताओं का बहुमत उनके विरुद्ध होता है.

> आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जातीय और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को थामने के लिए कुछ बड़े सुधारों की जरूरत होगी.

चूंकि चुनाव जीतने के लिए कोई 30 फीसदी वोट पर्याप्त होते हैं, इसलिए सभी उम्मीदवार और प्रत्याशी जातीय-धार्मिक मतदाता समूहों को लक्ष्य करके प्रचार करते हैं. कोई मुसलमानों को संबोधित करता है और कोई जवाब में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण कराने की कोशिश करता है. इसी जातीय-धार्मिक आधार पर प्रत्याशी भी खड़े किये जाते हैं और भाषण भी इन्हीं वोटर-समूहों को लक्ष्य करके दिये जाते हैं. पहले इतना लिहाज बरता जाता था कि खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने पाये. येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने के इस अनैतिक और उग्र दौर में आचार संहिता और मर्यादा सबकी धज्जियां उड़ायी जाने लगी हैं. गलती न मानना भी इसी रणनीति का हिस्सा है कि जो कहा, सही कहा.

काफी पहले से चल रही चुनाव सुधार चर्चाओं में एक सुझाव यह भी शामिल है कि चुनाव जीतने के लिए कुल मतदान का पचास फीसदी से ज्यादा वोट पाना अनिवार्य कर दिया जाये. साल 2000 में गठित संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की बैठकों में इस पर खूब चर्चा हुई थी. सवाल उठा था कि यदि किसी को भी पचास फीसदी से अधिक वोट नहीं मिले तो? उपाय सुझाया गया कि तब सबसे ज्यादा वोट पानेवाले दो प्रत्याशियों के बीच पुनर्मतदान हो. चुनाव आयोग ने भी इसे व्यावहारिक पाया था, लेकिन पता नहीं क्यों अंतिम रिपोर्ट में इसको सिफारिश के तौर पर शामिल नहीं किया गया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने भी इसे चुनाव सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों में शामिल किया है.

चुनाव जीतने के लिए पचास फीसदी से ज्यादा वोट पाना अनिवार्य करने का एक लाभ यह होगा कि प्रत्याशियों को जातीय-धार्मिक मतदाता समूहों की बजाय क्षेत्र के सभी मतदाताओं को संबोधित करना होगी. उनके बीच लोकप्रिय होने की कोशिश करनी होगी. इस प्रयास में वह जातीय-धार्मिक आधार पर प्रचार से बचेगा. बहुमत से जीतनेवाला जनता का वास्तविक प्रतिनिधि भी होगा.

जिस तरह आज आचार संहिता की जान-बूझकर धज्जियां उड़ायी जा रही हैं, चुनाव जीतने के लिए समाज की सतरंगी चादर तार-तार की जा रही है और धन-बल से मतदान को प्रभावित किया जा रहा है, उसे देखते हुए चुनाव सुधार अब बहुत ही जरूरी हो गया है.

हालांकि, पिछले दो-तीन दशक में चुनाव-प्रक्रिया कुछ साफ-सुथरी हुई थी. प्रत्याशियों की संपत्ति और आपराधिक इतिहास के शपथ-पत्र दाखिल करना अनिवार्य करने से जो बदलाव आया था, वह निष्प्रभावी लगने लगा है. आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन जातीय और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति को थामने के लिए कुछ बड़े सुधारों की जरूरत होगी.

लोकतंत्र की शक्ति के लिए चुनाव की शुचिता को बनाये रखना जरूरी है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश के ताने-बाने को अक्षुण्ण रखना उससे ज्यादा जरूरी है.

ईवीएम पर बार-बार उठते प्रश्न

अवधेश कुमार
वरिष्ठ पत्रकार
awadheshkum@gmail.com

विपक्षी दलों ने ईवीएम को फिर निशाना बनाया है. इन दलों ने यह तय किया कि वे ईवीएम को खत्म कर मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग जारी रखेंगे. जाहिर है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले आठ अप्रैल को दिये गये फैसले से ये दल सहमत नहीं है. उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि मतगणना के दौरान ईवीएम के मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान की संख्या पांच की जाये. अभी तक चुनाव आयोग प्रत्येक विधानसभा में एक मतदान केंद्र से वीवीपैट पर्चियों का मिलान करता था. वीवीपैट से मिलान के बाद यह सत्यापित हो जाता है कि ईवीएम में डाले गये वोटों से छेड़छाड़ नहीं हुई है. हालांकि, फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया थी कि यह फैसला तर्कसंगत नहीं है और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने यह फैसला दिया था. कुल 21 विपक्षी दलों ने वीवीपैट से 50 प्रतिशत ईवीएम के मिलान का आयोग को आदेश देने की अपील की थी. न्यायालय ने आयोग का पक्ष जाना और हर उस प्रश्न का जवाब लिया जो विपक्षी दल उठा रहे थे. न्यायालय चुनाव आयोग के इस तर्क से सहमत हुआ कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित प्रणाली है और इसमें छेड़छाड़ की संभावना पैदा नहीं होती. अगर न्यायालय को तनिक भी संदेह होता, तो वह ऐसा फैसला दे ही नहीं सकता था.

आयोग ने न्यायालय को दिये जवाब में कहा था कि 50 प्रतिशत मिलान के लिए भारी संख्या में कर्मचारियों की जरूरत होगी और उन्हें व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी. मतगणना के लिए भी हर जगह बड़े-बड़े हॉल चाहिए होगा. यह संभव नहीं है. ऐसा करने से चुनाव परिणाम आने में पांच-छह दिन अधिक लग सकते हैं. देश में कुल 10 लाख 35 हजार 918 मतदान केंद्र हैं. औसतन एक विधानसभा क्षेत्र में 250 मतदान केंद्र. लोकसभा चुनाव में करीब 39 लाख 60 हजार ईवीएम का उपयोग होगा. एक ईवीएम और वीवीपैट के मिलान से गणना में लगभग एक घंटे का समय लगता है. अगर इसे 50 प्रतिशत तक बढ़ाया गया, तो इसमें कितना समय लगेगा इसका आकलन किया जा सकता है. चुनाव आयोग ने 22 मार्च को बताया कि 479 वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम का मिलान किया गया है, नतीजे सही आये हैं.

आखिर चुनाव आयोग के आश्वासनों पर विपक्षी दल यकीन क्यों नहीं कर रहे? जब उच्चतम न्यायालय इससे सहमत हो गया, तो विपक्षी दलों को क्यों आपत्ति है? अगर ईवीएम विश्वसनीय होगा, उसमें छेड़छाड़ या हैकिंग की संभावना होगी, तो चुनाव आयोग क्यों उसे बनाये रखने पर जोर देगा? किसी एक चुनाव आयुक्त का राजनीतिक झुकाव हो सकता है. लेकिन कई वर्षों से सारे चुनाव आयुक्तों ने एक ही स्टैंड लिया. तो क्या इन चुनाव आयुक्तों को झूठा और बेईमान मान लिया जाये? चुनाव आयोग ने कई बार यह अवसर दिया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को साबित किया जाये. नेतागण बाहर बोलते रहे, लेकिन कोई भी आयोग में छेड़छाड़ का दावा साबित करने नहीं गया. ये दल न चुनाव आयोग पर विश्वास कर रहे हैं और न उच्चतम न्यायालय के फैसले को मान रहे हैं. ईवीएम से परिणाम बदलना संभव होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव परिणाम उलट आते.

कुछ देर के लिए मान लिया जाये कि मशीन में गड़बड़ी हो सकती है. किंतु किसी एक दल को लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी करनी होगी. उसके लिए भारतीय चुनाव आयोग, राज्यों के चुनाव आयोग, ऊपर से नीचे तक का पूरा प्रशासन, हजारों की संख्या में ऐसा करनेवाले विशेषज्ञ और तनकनीशियन चाहिए. इतने व्यापक पैमाने पर धांधली संभव है क्या? हैकिंग का आरोप पूरी तरह हास्यास्पद है. किसी मशीन को हैक तभी किया जा सकता है, जब वह इंटरनेट से जुड़ा हो या अन्य किसी मशीन से. ईवीएम को न इंटरनेट की आवश्यकता है और न अन्य मशीनों से जुड़ने की. ईवीएम का सॉफ्टवेयर कोड वन टाइम प्रोग्रामेबल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के आधार पर बना है. निर्माता से बगैर कोड हासिल किये इसमें छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती. ईवीएम मशीन की कौन सी सीरीज किस मतदान केंद्र पर होगी, इसका पता मतदान करानेवाले दल को एक दिन पहले चलता है. मतदान के पहले मॉक पोलिंग की प्रक्रिया संपन्न होती है. इसमें सभी पोलिंग एजेंट वोट डालते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उनके दबाये बटन से सही उम्मीदवार को वोट गया या नहीं. हर चुनाव में 20 से 25 प्रतिशत अतिरिक्त मशीनें सेक्टर अधिकारी की निगरानी में रखी जाती हैं, जिन्हें वह मशीनों के खराब होने पर बदलता है. अतिरिक्त गर्मी या अन्य कारणों से कुछ समय के लिए सेंसर आदि में समस्या आती है. ये स्थितियां स्वाभाविक हैं.

ईवीएम का मामला अनेक उच्च न्यायालयों में गया. उच्चतम न्यायालय में भी इसके पहले कई बार लाया गया. न्यायालय ने हर बार आरोपों का परीक्षण किया, आयोग का पक्ष जाना और फैसला ईवीएम के पक्ष में आया. तो क्या फैसला देनेवाले सारे न्यायाधीश उन बातों को नहीं समझ सके, जिसके बारे में हमारे महान नेतागण बता रहे हैं? उच्चतम न्यायालय ने 14वीं बार अपना फैसला दिया है. पिछले वर्ष 23 नवंबर को ही मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने ईवीएम की जगह मतपत्रों से चुनाव कराने की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि हर व्यवस्था में संदेह की गुंजाइश रहती है.

> ईवीएम का मामला अनेक उच्च न्यायालयों में गया. उच्चतम न्यायालय में भी इसके पहले कई बार लाया गया. न्यायालय ने हर बार आरोपों का परीक्षण किया, आयोग का पक्ष जाना और फैसला ईवीएम के पक्ष में आया.

आपके पत्र

चुनाव आयोग की कार्रवाई एक नजीर है

बदजुबानी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई संवैधानिक संस्थाओं के लिए एक नजीर है. कहतें हैं चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है और चुनावी तकरीरें उसकी जान. देश की बड़ी आबादी को उम्मीद रहती है कि उम्मीदवार अपने फॉर्मूले से लोगों में तरक्की की तस्वीर खींचने की कोशिश करेंगे. अफसोस इसके उलट सियासी रैलियों में निजी जिंदगी पर हमले, डिग्रियां, मजहबी पहचान और मुंहफट बयानबाजी ने जगह ले ली है. फिसलती जुबान की शिकार ज्यादातर औरतें होती हैं. सियासत में ऊंचे मुकाम पाये लोगों के स्तरहीन बयान लोकतंत्र पर सीधा हमला है. बदजुबानी से भले किसी की जीत पक्की हो जाये मगर लोकतंत्र की रूह को चोट लगनी भी तय है. तकरीरों में गर्माहट और उम्मीदवारों की बौखलाहट में इजाफे की पूरी गुंजाइश है. उम्मीद है कि आयोग अपनी ताकत के मुताबिक आगे भी कड़े फैसले लेगा.

एमके मिश्रा, रातू, रांची

खतरे में दुमका का ब्लड बैंक

जरूरत के वक्त खून उपलब्ध करा कर मरीजों की जान बचाने में मदद करनेवाला दुमका का एक मात्र ब्लड बैंक, सदर अस्पताल का ब्लड बैंक, इन दिनों प्रशासनिक उदासीनता का शिकार बन गया है. साफ-सफाई व रखरखाव के अभाव में उसकी दीवारों में दरारें उभर आयी हैं. उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था भी चरमरा गयी है. मेनटेनेंस नहीं होने से उपकरणों के भी खराब हो जाने का खतरा बना हुआ है. ब्लड बैंक की यह स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है. वित्तीय कमियों से जूझ रहा है यह ब्लड बैंक रक्त दान करने वालों को रिफ्रेशमेंट भी नहीं उपलब्ध करा पा रहा है. आये दिन अस्पताल में रक्त की कमी का रोना लगा रहता है. इस स्थिति का फायदा यहां के दलाल व अवैध रूप से निजी ब्लड बैंक चलानेवाले लोग उठा रहे हैं. सरकार इस ओर ध्यान दे जिससे यहां के लोगों को राहत मिल सके.

कुश शर्मा, दुमका

उम्मीदवारों के चयन का आधार

लोकसभा चुनाव का परवान चढ़ा हुआ है, परंतु दुख की बात यह है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने विकास के नाम पर उम्मीदवार खड़े नहीं किये हैं. उम्मीदवारों के चयन में सभी पार्टियों ने जाति, धर्म, संप्रदाय के समीकरण को अहमियत दी है. कुछ राजनीतिक दलों ने परिवारवाद को भी बढ़ावा दिया है जबकि चुनाव में विकास सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए. जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बनने वाली सरकार कभी भी राष्ट्र की हितैषी नहीं हो सकती. चुनाव पर्व में आम जनता की भागीदारी ही पर्व को सफल बनायेगा. इसलिए दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर ऐसे उम्मीदवार का चयन करना चाहिए, जो विकास के लिए आपका वोट मांग रहा हो. अपने देश की अलग पहचान बनाये रखने के लिए जरूरी है देश की धर्मनिरपेक्षता का ख्याल रखने वाले उम्मीदवार सदन में पहुंचे.

संजय कुमार बबलू, दुधपुरा, समस्तीपुर

बोधि वृक्ष

दर्शन का मार्ग

आप इतिहास उठाकर देख लीजिये, सत्ता बदलती है, तो नयी सत्ता पुरानी सत्ता पर दोषारोपण करती है. बाह्य जगत में रहनेवाला दूसरों के कंधों पर भार डाल कर स्वयं हलका रहना चाहता है. अध्यात्म का साधक दायित्व को ओढ़कर भारी रहता है. वह अपना दायित्व दूसरों पर कभी नहीं डालता. अध्यात्म साधना की पहली परिणति है- दायित्व को लेने का साहस. अध्यात्म साधक की भ्रांतियां सबसे पहले टूटती हैं. वह असत्य से दूर और सत्य के निकट होता है. व्यक्ति अध्यात्म की चेतना में प्रवेश करता है, अध्यात्म की चेतना के जागरण का प्रयास करता है, वह अपने पर बहुत उत्तरदायित्व लेता है. इतना बड़ा दायित्व कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति उतना बड़ा दायित्व नहीं उठाता. प्रत्येक व्यक्ति सुख-दुख का दायित्व दूसरों पर डालता है. चाहे सम्राट हो या अन्य कोई सब अपने-आपका बचाव करते हुए दायित्व दूसरों पर डाल देते हैं. सारा दोष दूसरों में देखते हैं, स्वयं निर्लिप्त रह जाते हैं. किंतु अध्यात्म की साधना करनेवाला, चेतना के जागरण की साधना करनेवाला, सारा दायित्व अपने पर लेता है. चाहे वह सुख का दायित्व हो या दुख का, वह दायित्व अपने पर लेता है, दूसरों पर नहीं थोपता. कोई शत्रुता करता है, तो साधक सोचता है कि कहीं न कहीं मेरी ही भूल है. कितना बड़ा दायित्व है यह? ऐसा दायित्व वही व्यक्ति उठा सकता है, जो अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है. सामान्यतया आंखें बंद करने का अर्थ होता है- नहीं देखना, सो जाना. लेकिन, साधक के लिए आंखें बंद करने का अर्थ होता है- भीतर की गहराइयों को देखना. एक पूरे साम्राज्य को चलानेवाले सम्राट पर भी उतना दायित्व नहीं होता, जितना बड़ा दायित्व होता है उस साधक पर, जो चेतना के जागरण में लगा हुआ है. अब सवाल है कि एकांत में, एक कोने में बैठ कर अपने भीतर झांकनेवाला, अपने-आपकी साधना करनेवाला बड़ा दायित्व कैसे लेता है? यह तर्क-संगत नहीं, किंतु विरोधी बात है. साधना का मार्ग तर्क का मार्ग नहीं है, अनुभव का मार्ग है, देखने का मार्ग है, दर्शन का मार्ग है.

आचार्य महाप्रज्ञ

कुछ अलग

बुद्धिमत्ता के पर्याय आइंस्टीन

शफक महजबीन
टिप्पणीकार
mahjabeenshafaq@gmail.com

'हर कोई जीनियस है, लेकिन अगर एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की काबिलियत के हिसाब से आप आंकेंगे, तो मछली खुद को जिंदगी भर मूर्ख समझेगी.' जाहिर है, मछली पानी में तैरने में जीनियस है. जीनियस शब्द का सही अर्थ बतानेवाले, बुद्धिमत्ता के पर्याय और सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक, अल्बर्ट आइंस्टीन की आज पुण्यतिथि है. आइंस्टीन को प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया. हालांकि, उनके 'सापेक्षता का सिद्धांत' (थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी) और 'द्रव्यमान-ऊर्जा समीकरण' ($E= mc^2$) के लिए उन्हें ज्यादा जाना जाता है. ब्रह्मांड के नियमों को समझानेवाले भौतिकविद् आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च, 1879 को जर्मनी के वुटेमबर्ग में हुआ था. इनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलीन आइंस्टीन था. अल्बर्ट बचपन में बहुत शांत स्वभाव के थे. बच्चों के साथ खेलने के बजाय वह अकेले ही खेलते थे. चार साल की उम्र तक आइंस्टीन कुछ भी नहीं बोल सके थे.

जब वे पांच वर्ष के हुए, इनके पिता ने इन्हें जन्मदिन पर मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया, जिसकी सूई हमेशा उत्तर दिशा में रहती थी. आइंस्टीन सोचने लगे कि सूई हमेशा उत्तर दिशा में क्यों रहती है. यह जानने के लिए उनमें जिज्ञासा का जन्म हुआ, और धीरे-धीरे विज्ञान में रुचि बढ़ने लगी. स्कूल के दिनों में वे अपने टीचर्स से अजीब-अजीब सवाल पूछते थे. इस कारण उन्हें मंदबुद्धि तक कहा गया और ऐसी शरारतों की वजह से उन्हें स्कूल से बाहर भी निकाल दिया गया. बचपन से ही उनके दिमाग में चीजों को लेकर गहरी जिज्ञासा थी. वह आसमान और सूरज के बारे में सोचते थे. तारों के बारे में सोचते थे कि वे रात में ही क्यों चमकते हैं. अपनी तमाम उपलब्धियों के पीछे वह अपनी जिज्ञासा को ही मानते हैं. वे लिखते भी हैं, 'मेरे पास कोई विशेष गुण नहीं है, मैं तो बस जिज्ञासू हूं.'

अलबर्ट आइंस्टीन की साहित्य, कला, संगीत और अध्यात्म में भी गहरी दिलचस्पी थी. दिखने में वे बेहद ही साधारण व्यक्ति थे, पर असाधारण दिमाग वाले वैज्ञानिक और चिंतक थे. यही वजह है कि उनके विचार भी असाधारण हैं. साल 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टीन को 'शताब्दी-पुरुष' घोषित किया था. उन्होंने तीन सौ से ज्यादा वैज्ञानिक शोधपत्रों का प्रकाशन किया. एक से बढ़कर एक वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करनेवाले, अनेक किताबें लिखनेवाले और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझानेवाले आइंस्टीन 18 अप्रैल, 1955 को हमेशा के लिए ब्रह्मांड में कहीं विलीन हो गये.

आज हमें आइंस्टीन के वैज्ञानिक योगदानों को न सिर्फ याद करना चाहिए, बल्कि ऐसी कोशिशें करनी चाहिए, जिससे आज की पीढ़ी में वैज्ञानिक चेतना से भरी जिज्ञासा पैदा हो सके. स्कूलों और कॉलेजों में ऐसी चेतना का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ सके और अच्छे-अच्छे शोध सामने आ सकें. यह न सिर्फ हमारे देश के लिए जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है.

देश दुनिया से

अल्जीरिया में सरकार विरोधी प्रदर्शन

पिछले सप्ताह घोषणा हुई कि अल्जीरिया में चार जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे. इससे वहां होनेवाले विरोध प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. फरवरी में राष्ट्रपति अब्देलअजीज बॉटेफ्लिका द्वारा पांचवें कार्यकाल में भी पद पर बने रहने की घोषणा के बाद देशभर में लोग सड़कों पर उतर आये थे. अब्देलअजीज के इस्तीफे, बढ़ती पुलिस हिंसा और गिरफ्तारी के बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है. अल्जीरियाई अब पारदर्शी राजनीतिक परिवर्तन और शासन में प्रमुख भूमिका निभानेवाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हटाने की मांग कर रहे हैं. अब्देलअजीज के नजदीकी अब्देलकादेर बेनसालेह को अंतरिम राष्ट्रपति बनाये जाने और सैन्य प्रमुख व उपरक्षा मंत्री अहमद गैद सालेह के निर्देशन में सैन्य हस्तक्षेप को जनता ने नकार दिया है. अहमद गैद ने इस प्रदर्शन को विदेशी हस्तक्षेप और जोड़-तोड़ करार देने की कोशिश की है. यह दावा गलत है, क्योंकि शासन के विदेशी भागीदारों को अल्जीरिया को अस्थिर करने में रुचि नहीं है. वहीं प्रदर्शनकारी इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि वे अपने विरोध प्रदर्शन में विदेशियों को शामिल नहीं करेंगे. फिर भी चिंता बढ़ी है कि अल्जीरियाई शासन के भीतर कुछ लोग सैन्य शासन पर विचार कर रहे हैं.

मरियम हालेह डेविस

कार्टून कोना

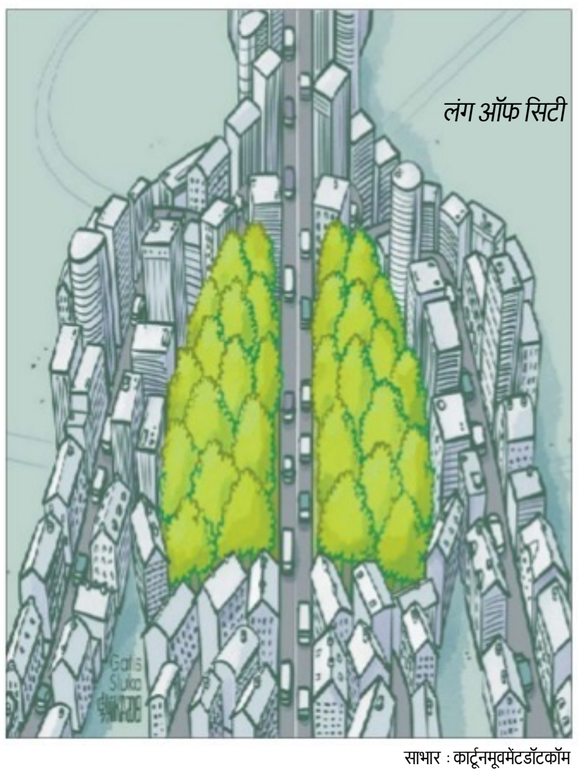

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

पोस्ट करें : प्रभात खबर, 15 पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची 834001, **फैक्स करें** : 0651-2544006,
मेल करें : eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है